भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5372

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब

5372. श्री तनुज पुनिया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक देश में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित निर्धारित समय पर पूरा न हो पाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य संबंधित परियोजनाओं के निर्माण में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे विलंब के कारण लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2015 से अब तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्षवार कितनी राशि का ऋण लिया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई परियोजनाओं में से 683 चालू परियोजनाएं हैं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाई हैं तथा अपने मूल समापन तिथि से आगे निकल गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के प्राथमिक कारण भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून और व्यवस्था, रियायतग्राही/संविदाकार की वित्तीय तंगी, संविदाकार/रियायतग्राही का खराब प्रदर्शन और अप्रत्याशित घटनाएं जैसे कोविड-19 महामारी, भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/हिमस्खलन आदि हैं।

(ग) सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि देरी संविदाकार के कारण नहीं होती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है तथा यह परियोजना के वास्तविक समापन और बिलों के अंतिम निपटान पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि देरी संविदाकार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।

(घ) अप्रैल 2015 से आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में एनएचएआई द्वारा लिए गए ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध ।

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब" के संबंध में श्री तनुज पुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5372 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

परियोजनाएं जो पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाई हैं तथा अपने मूल पूर्ण होने के समय से आगे निकल गई हैं, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजनाओं की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	41
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	16
5	बिहार	37
6	छत्तीसगढ़	22
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
8	दिल्ली	3
9	गोवा	10
10	गुजरात	20
11	हरियाणा	7
12	हिमाचल प्रदेश	17
13	जम्मू और कश्मीर	28
14	झारखंड	14
15	कर्नाटक	40
16	केरल	15
17	मध्य प्रदेश	21
18	महाराष्ट्र	76
19	मणिपुर	23
20	मेघालय	6
21	मिजोरम	14
22	नागालैंड	6
23	ओडिशा	30
24	पंजाब	20
25	राजस्थान	27
26	सिक्किम	12
27	तमिलनाडु	29
28	तेलंगाना	37
29	त्रिपुरा	6
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	5
31	उत्तर प्रदेश	42
32	उत्तराखंड	32
33	पश्चिम बंगाल	14

अनुबंध II

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब" के संबंध में श्री तनुज पुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5372 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल 2015 से आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में एनएचएआई द्वारा लिए गए ऋणों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	**आईईबीआर (रुपए करोड़ में)**
2015-16	23,281
2016-17	33,118
2017-18	50,533
2018-19	61,217
2019-20	74,988
2020-21	65,036
2021-22	65,150
2022-23	798
2023-24	शून्य
2024-25	शून्य

*****